भारत सरकार

खान मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. *777*

दिनांक 07.02.2024 को उत्तर देने के लिए

सामरिक रूप से महत्वपूर्ण खनिजों की रॉयल्टी दरें

777. डॉ. रामशंकर कठेरिया:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सामरिक रूप से महत्वपूर्ण तीन खनिजों अर्थात् लिथियम**,** नाइओबियम और रेयर अर्थ एलिमेंट्स के खनन हेतु रॉयल्टी दरों को मंजूरी देने संबंधी निर्णय लेने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां**,** तो इससे आर्थिक विकास को किस स्तर तक बढ़ावा मिलेगा;

(ग) उक्त खनिजों के आयात में कितनी कमी आने की संभावना है; और

(घ) सुचारू ऊर्जा रूपान्तरण से शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने में किस हद तक सहायता मिलेगी?

उत्तर

खान**,** कोयला एवं संसदीय कार्य मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) से (घ): केंद्र सरकार ने दिनांक 17.08.2023 से एमएमडीआर संशोधन अधिनियम**, 2023** के माध्यम से खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम**,** 1957 **[**एमएमडीआर अधिनियम**,** 1957**]** में संशोधन किया है। उक्त संशोधन के माध्यम से**,** केंद्र सरकार को उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के नए भाग-घ में सूचीबद्ध **24** महत्वपूर्ण खनिजों जिसमें लिथियम युक्त खनिज**,** नाइओबियम युक्त खनिज और "दुर्लभ मृदा" समूह के खनिज शामिल हैं जिनमें यूरेनियम और थोरियम शामिल नहीं हैं, के लिए खनन पट्टा और संयुक्त अनुज्ञप्ति को विशेष रूप से नीलाम करने का अधिकार दिया गया है।

लिथियम, नाइओबियम और दुर्लभ मृदा तत्वों (आरईई) के संबंध में रॉयल्टी की दर निर्दिष्ट करने के उद्देश्य से, केंद्र सरकार ने दिनांक 13.10.2023 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 736(अ) द्वारा एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की दूसरी अनुसूची में संशोधन किया है। इन खनिजों के संबंध में रॉयल्टी की दरें अनुबंध**-I** में दी गई हैं।

रॉयल्टी दरों के विनिर्देशन ने केंद्र सरकार को देश में पहली बार लिथियम, नाइओबियम और आरईई के लिए ब्लॉकों की नीलामी करने हेतु सक्षम बनाया है। लिथियम, नाइओबियम और आरईई अपने उपयोगों और भू-राजनीतिक परिदृश्य के कारण सामरिक तत्वों के रूप में उभरे हैं। इन खनिजों के स्वदेशी खनन को

प्रोत्साहित करने से आयात में कमी आएगी और संबंधित उद्योगों और अवसंरचनात्मक परियोजनाओं की स्थापना होगी।

महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों की नीलामी से कई प्रमुख लाभ मिलते हैं, जिनमें घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना, आयात निर्भरता को कम करना, स्थायी संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देना, खनन क्षेत्र में निवेश आकर्षित करना और भारत की औद्योगिक और प्रौद्योगिकीय उन्नति के लिए महत्वपूर्ण प्रमुख उद्योगों का विकास शामिल है। यह इन खनिजों की एक विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने और 'आत्मनिर्भर भारत' बनाने और वर्धित आर्थिक विकास में योगदान देने की दिशा में एक कदम है। ये खनिज कम उत्सर्जन वाली अर्थव्यवस्था में परिवर्तन को ऊर्जा देने और **2070** तक भारत की 'नेट ज़ीरो' प्रतिबद्धता को पूरा करने हेतु अपेक्षित नवीकरणीय प्रौद्योगिकियों के लिए भी महत्वपूर्ण हैं।

केंद्र सरकार ने दिनांक **29.11.2023** को महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों के **20** खनिज ब्लॉकों की ई-नीलामी के प्रथम भाग की शुरूआत की है जिसका उद्देश्य इन खनिजों की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करना है, जिससे आयात पर हमारी निर्भरता कम होगी और अधिक सुरक्षित और लचीली आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित होगी।

*****

<u>अनुबंध-I</u>

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या †**777** के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

खनिज	रॉयल्टी दर
लिथीयम :	उत्पादित अयस्क में लिथियम धातु पर प्रभार्य लंदन मेटल एक्सचेंज मूल्य का तीन प्रतिशत।
नाइओबियम: (i) प्राथमिक (कोलंबाइट-टैंटालाइट के अलावा अन्य अयस्कों से उत्पादित) (ii) उप-उत्पाद (कोलंबाइट-टैंटालाइट के अलावा अन्य अयस्कों से उत्पादित)	उत्पादित अयस्क में निहित नाइओबियम धातु पर प्रभार्य नाइओबियम धातु के औसत विक्रय मूल्य का तीन प्रतिशत। उत्पादित अयस्क में निहित उप-उत्पाद नाइओबियम धातु पर प्रभार्य नाइओबियम धातु के औसत विक्रय मूल्य का तीन प्रतिशत है।
दुर्लभ मृदा तत्व (समुद्र तटीय रेत खनिजों में मोनाज़ाइट के अलावा पाये जाने वाले अन्य अयस्कों से उत्पादित खनिज):	उत्पादित अयस्क में निहित दुर्लभ मृदा ऑक्साइड (आरईओ) पर प्रभार्य दुर्लभ मृदा ऑक्साइड के औसत विक्रय मूल्य का एक प्रतिशत।